

न्यायालय कलेक्टर, जिला—गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

। आदेश ।।

गरियाबंद, दिनांक 10.04.2023

प्रकाशन प्रामाण 202212220600007 / ३१-५९ :-

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम को जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर प्रमुख राजिम, काग्रप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ ०-४१७ / ९५ / राता / २ वी भोपाल, दिनांक ०६.०४.१९९८ अनुसार केन्द्रीय शासन के विभागों को नामगात्र पंजीकृत मूल्य २६.०० रुपये लेकर भूमि आवंटन किये जाने हेतु उल्लेख के अनुक्रम में राजस्व पुरस्क परिपत्र खण्ड एक - क्रमांक ७ अनुसार ग्राम टेका राहसील राजिम में रिचात शासकीय पारा मद की भूमि खसरा नंबर ४६८ रकमा १०.३७ हेक्टेयर में से ४.०० हेक्टेयर तथा खसरा नंबर ६९४ रकमा ४.२९ हेक्टेयर में से ०.५० हेक्टेयर को भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को युक्तारोपण हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन आवंटन किया जाता है:-

१/ भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से गिन अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

२/ यदि भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है, तो उक्त भूमि, शासन में स्वमेव निहित हो जावेगी।

३/ संबंधित विभाग को केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित होने वाले समर्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।



1332-A

पृष्ठांक / कले./वाचक/2023
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर
गरियाबंद (छ०ग०)

गरियाबंद, दिनांक १०.०४.२०२३

- १/ वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर १९ नवा रायपुर, अटलनगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- २/ अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- ३/ वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- ४/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम को मूल प्रकरण सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- ५/ तहसीलदार राजिम को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

कलेक्टर
गरियाबंद (छ०ग०)